

[Hindi]

<p style="text-align: center;">रेल मंत्रालय / डीएफसीसीआईएल</p> <p style="text-align: center;">बड़ोदरा-जोधपपीठी एवं रेवाड़ी-दादरी के बीच डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना (द्वितीय चरण) के लिए पुनर्बांध और पुनः स्थापना योजना (आर आर पी)</p> <p style="text-align: right;">नवम्बर - 2011</p>	<p style="text-align: center;">कार्यकारी सारांश</p> <p>परियोजना-एक नजर में</p> <p>रेल मंत्रालय (शे) महानगरों दिल्ली और मुंबई और उनके अपने राज्यों के बीच एक शान्तिपूर्ण लागत और कम समय में बिना किसी बाधा के बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं के सीधे और सरल यातायात के लिए एक बड़े आयामी रेल्व एक्सप्रेस लदान डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना क्रियान्वित कर रहा है। विलीय वर्ष 2018-14 में 37.7 मिलियन के माल षाड़ा लदान के लिए इसे तैयार किया गया है जो आगे 10 वर्षों में 140.4 मिलियन तक बढ़ जाएगा। परियोजना अभी क्रियोजन स्तर पर है। इसे 2006 में शुरू किया गया था और 2012 में पूरा होगा। निर्माण कार्य 4-5 वर्षों में वर्ष 2012 से 2016 के बीच में पूरी करने की योजना है। क्रियोजन क्रियान्वित दिनांक 2016 से शुरू होने की योजना है।</p> <p>सामान्य विशेषताएं</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ कोरीडोर की लंबाई: 585 कि.मी. ➤ बड़ोदरा-मुम्बई सेक्शन की लंबाई- 420 कि.मी. ➤ रेवाड़ी-दादरी सेक्शन की लंबाई- 145 कि.मी. ➤ जंक्शन स्टेशन: 6 क्रियोजन- 11 ➤ प्रमुख एवं महत्वपूर्ण मुलों की संख्या- 165 ➤ आर ओ पी की संख्या- 77 ➤ जहां से क्रियोजन मुजरेगा: महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली। ➤ शामिल जिले: 14 ➤ शामिल गांव: 374 ➤ रातों की लंबाई: शान्तिपूर्ण सेक्शन में लगभग 35 मी., मुम्बई-जोधपपीठी में 60 मी. ➤ अधिकतम गति: 100 कि.मी. प्रति घंटा <p>परियोजना के लाभ</p> <p>डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण के साथ-साथ भारत में अर्थव्यवस्था की वर्धमान दर को बढ़ाने में मदद करना है।</p>
--	---

की जा रही है। इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 लागू नहीं है।

- राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति, 2007 डीएफसी परियोजना के लिए बहुत कम भूमि की आवश्यकता है। रेलवे परियोजना के लिए रेलीय भूमि अधिग्रहण पर एनआरआरपी 2007 का पैरा 7.19 मूल रूप से डीएफसी परियोजना के लिए लागू है।
- सहम प्राधिकारी ऐन एक्टिविटीज लिसेटेंडिंग एरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत, ऐसे क्षेत्र के लिए, जो डीएफसी परियोजना के लिए विशेष रूप से उद्दिष्टित हों, के लिए सहम प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वाहन के लिए अधिसूचना किया गया है।

अर ए ए 2008 के अनुसार इच्छुक व्यक्ति

1. इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि के अधिग्रहण के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति का दावा करने वाले सभी व्यक्ति।
2. आदिवासी और अन्य वनवासी जो अनुज्ञाजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (बन अधिकार धरे मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अपने पारंपरिक अधिकारी स्वी चुके हैं।
3. ऐन एक्टिविटीज जो भूमि की सुविधा से प्रभावित हो
4. ऐसे व्यक्ति जो राज्य के नियमों के अंतर्गत किसानों का अधिकार रखते हैं।

अंतिम तारीख

अर ए ए 2008, एनआरआरपी 2007 के अनुसार धारता के लिए अंतिम तारीख है—

i) अंतिम संपादिकाधिकारियों एवं और संपादिकाधिकारियों के लिए वह तारीख जब अर ए ए 2008 की धारा 20 ए के अंतर्गत अधिसूचना निर्वाहित की गई हो।

भारत में आलमहा यातायात के सुधार के कारण राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास को तेज करना।

- डीएफसी के साथ औद्योगिक विकास के बढ़ने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- डीएफसी द्वारा दूरी और गति के आधार पर वन और मत्स्य विभाग के साथ-साथ क्षेत्र में किसानों के लिए बाजार का विस्तार और सुधार होगा जिससे कुछ उत्पादन के यातायात में सुधार होगा।
- ट्रक द्वारा यातायात की तुलना में बसों के यातायात के लिए कम खर्च का उपयोग।
- डीएफसी संरक्षण के साथ स्थानीय समुदाय के कारण कोई उत्पादन नही (सड़क द्वारा ट्रक से परिवहन उत्पादन की कमी)

पश्चिमी कोरीडोर में डीएफसी परियोजना (द्वितीय चरण) का भूमि अधिग्रहण पैटर्न

डीएफसी रेखांकन बड़ोदर-सुरत-अहमदाबाद-जोधपुरी और रेवाड़ी-दादरी से होकर गुजरता है। भूमि के अधिग्रहण और पुनः स्थापना का रेलीय पैटर्न परियोजना अधिकल्प के लिए अपेक्षित होगा। स्थायी प्रकार के ढांचे, स्थानीय समुदाय, गहरी निर्यात क्षेत्र, विद्युत् क्षेत्र, परियोजना के साथ बने बसे हुए शहरी क्षेत्र में अस्थायी आदि को बचाने या नुकसान को कम से कम करने के लिए वक्तव्य रेखांकन पर विचार किया गया है। मूल रूप से कुछ जगहों पर रेखांकन वर्तमान रेलवे लाइन के समान्तर हैं। जबकि सूरत, धातु, बसई, कुन्दे, बहार और रेवाड़ी-दादरी में यह वक्तव्य है, दोनों ही स्थितियों समानांतर और धुंधलदार स्थानों में कुछ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी।

(D) निष्पादन एजेन्सी (EA)

डेडीकेटेड फंड कोरीडोर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

डीएफसी परियोजना के लिए आधारभूत विधान और भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनः स्थापना

- रेलवे संशोधन अधिनियम, 2008 ऐसा अधिनियम है जिसके अंतर्गत डीएफसी परियोजना (जिसे विशेष रेलवे परियोजना के रूप में घोषित किया गया है) द्वारा भूमि अधिग्रहित

पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति

पुनः स्थापना और पुनर्वास नीति उन विदातों पर आधारित है कि परिवर्तन से प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति परिवर्तन से पहले की उनकी स्थिति से अच्छी हो।

नीति के अनुसार आरक्षणों के उद्देश्य

- परिवर्तन से प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति परिवर्तन के कारण उनकी पहले की स्थिति से बदतर नहीं होगी।
- सभी व्यावहार्य विकल्पों को अपनाकर भूमि अधिग्रहण और अनैतिक पुनः स्थापना प्रभावों को खाना या कम से कम करना।
- पुनर्वास रैकेज की शक्तिता सुनिश्चित करना और प्रभावित परिवारों के सक्रिय सहयोग से पुनर्वास प्रक्रिया के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
- अनु.जा./अनु.ज.जा./महिलाओं, बुजुर्गों, एवं विकलांगों/असुरक्षित समूहों जैसे कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष देख-भाल
- बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराना और मीरपीज के मरण-पोषण के लिए आस पदान करना।
- अपेक्षित निकाय और प्रभावित परिवारों के बीच आपसी सहयोग द्वारा क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ाना।
- भूमि को लेने और रख पर किसी प्रकार की निर्माणात्मक गतिविधि आरंभ करने से पूर्व क्षतिपूर्ति और पुनः स्थापना सहायता के मुदतान को सुनिश्चित करना।

मौलिक क्षतिपूर्ति नीति

- भूमि अधिग्रहण की विमर्दारी रेल मंत्रालय द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारों की होगी।
- मूलरूप से क्षतिपूर्ति की राशि भूमि खोने वाले व्यक्ति को आर एफ 2008 के अनुसार दी जाएगी। आर एफ 2008 के अनुसार बाजार दर निर्धारित की जाएगी और भूमि की बाजार दर के अलावा हर मामले में अधिग्रहण की अतिवर्ध प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बाजार कीमत की 60 प्रतिशत राशि इनाम स्वरूप दी जाएगी (सेक्शन 20एफ(अ), आरआरए 2008)। अन्वथा, राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए गजूसू दर को सक्षम प्राधिकारी आर एफ 2008 के अनुसार अपना सकते हैं।

- भूमि से इच्छुक कोई व्यक्ति भूमि अधिग्रहण के इगटे की घोषणा के लिए अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के अंदर भूमि अधिग्रहण के लिए आवेदन प्रकट कर सकता है (सेक्शन 20डी(1),आरआरए 2008)।
- मरण और अन्य अवल सम्पत्ति या सम्पत्तियां, यद्ध पौधे और उस भूमि या मरण पर खड़ी फसल जैसे क्षतिपूर्ति किया जाना है, को बाजार कीमत का निर्धारण पक्ष क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा (सेक्शन 20 जी (4,5,6), आरआरए 2008)।
- क्षतिपूर्ति राशि सामान्यतः भूमि अधिग्रहण की घोषणा की अधिसूचना के एक वर्ष के अंदर दे दी जाएगी। उपरिहार्य अधिसूचना में इसे 3 मास तक बढ़ाया जा सकता है। अदाई गई क्षति में एक ईनाम भी दिया जाता है। अधिभूत व्यक्तियों को ईनाम में श्रेणी के कारण ऐसे विलंब के प्रत्येक मास की रस अवधि के लिए एक अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जाएगी (सेक्शन 20 एफ (1,2),आरआरए 2008)
- क्षतिपूर्ति लेने के लिए भौतिक के एक वर्ष बाद तक यदि इच्छुक व्यक्ति क्षतिपूर्ति राशि के लिए दावा नहीं करता है तो ऐसे मामले में क्षतिपूर्ति राशि ईसू के पास एक अलग खाते में परिवर्तन के अंत तक रख दी जाएगी। इच्छुक पाटियां अपनी क्षतिपूर्ति का दावा या तो स्वयं या अपने वंश उत्तराधिकारी के माध्यम से शतशतक अनुदान के बाद कर सकती हैं।
- इस अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1884 में से कुछ भी लागू नहीं होगा।
- रेवेनू लाहनों जैसे रेखीय अधिग्रहण के मामले में, जहां परिवर्तन के उद्देश्य के लिए बहुत कम भूमि अक्षित की जाती है या रास्ते का उपयोग किया जाता है, प्रभावित परिवार में प्रत्येक खातेदार को अक्षित निकाय द्वारा एक इतनी अनुदान राशि के मुदतान की प्रकृति की जाएगी जितनी उपयुक्त सरकार द्वारा तय हो किन्तु 20000/-रु. से कम न हो।
- क्षतिपूर्ति के अलावा या अधिनियम के अंतर्गत देय कोई अन्य लाभ या आर्बिकम या पौलना जिसके अंतर्गत भूमि, घर या अन्य सम्पत्ति अक्षित की जाती है (सेक्शन 20एफ(2))।

भतिपूर्ति, सहायता और पुनर्वास के लिए पात्रता

- पात्रता के लिए अतिम तारीख यह तालेख है जिस पर प्रभावित क्षेत्र में वैध मानिकी और गैर समाधिधारकों के लिए आरएए 2008 की धारा 20 ए के अंतर्गत निर्धारित अधिसूचना के अनुसार अधिसूचना जारी की जाती है।
- पीएपीज की विभिन्न श्रेणियों के पात्रता नीतें अनुसूची में दिखाए गए मौखिक पात्रता के अनुसार होंगी।
- पात्रता की इकाई परिवार होगी।
- समाधिधारक पीएपीज सहायता के साथ-साथ भतिपूर्ति के लिए भी पात्र होगा
- गैर समाधिधारक पीएपीज इनके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही भूमि की भतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा। फिर भी भूमि पर किए गए विवेक जैसे दानों और अन्य संपत्तियों के स्थानापन्न कीमत के अनुसार भतिपूर्ति मिलेगी (इंस्टाइटुटलमेंट थैट्रिक्स के नोट डी व नोट एक के अनुसार)। वे पुनः स्थापना नीति और मौखिक पात्रता के अनुसार आर एव आर सहायता के लिए भी पात्र होंगे।
- गणना के दौरान न गिने गए पीएपीज के मामले में प्रभावित क्षेत्र में अतिम तारीख से पहले उसकी संपत्ति को कोई साक्ष्य सिद्ध करता है तो शिकारत निपटान समिति द्वारा संचित सत्यापन के बाद उसे पीएपीज की सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
- अक्षरकित संपत्तियों के पीएपीज मौखिक पात्रता में निर्दिष्ट अतिरिक्त सहायता के लिए पात्र होंगे।
- पीएपीज वहाँ परई समर्थों के अवशेष को बिना किसी लागत के परिचयना भतिपूर्तियों में लिया किसी देरी के चे जा सकेगा।
- वेस्टली के लिए यदि कोई नोटिस किसी व्यक्ति/परिवार को अतिम तारीख से पहले दिया गया है और मामला न्यायालय में लंबित है तो ऐसी स्थिति में पीएपीज की पात्रता न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी स्थिति के अनुसार की जाएगी और आर पी के प्रावधानों के अनुसार पीएपीज भतिपूर्ति/सहायता के लिए पात्र होगा।

पीएपीज के मामले में जो सुनिश्चन कर दिये जाते हैं या भूमि अधिग्रहण के कारण उनकी स्थिति छोटे या सीमांत किसान तक सीमित कर दी जाती है तो वे 750 दिन की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर पुनर्वास सहायता पाने के हकदार होंगे।

परिचयना के लिए पुनर्वास और पुनःस्थापना के लिए सामान्य सिद्धान्त

- परिचयना से प्रभावित व्यक्ति/परिवार (पीएपीज/पीएएफए) को समाधिकारी, गैर समाधिधारक, किराएदार, वेजर्स आदि में कोटिकृत किया जाएगा।
- विभिन्न श्रेणियों के पीएपीज के लिए मौखिक पात्रता (इंस्टाइटुटलमेंट थैट्रिक्स) के अनुसार भतिपूर्ति और सहायता दी जाएगी।
- पीएपीज का उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए परिचयना लागत पर सहायता दी जाएगी।
- मौखिक पात्रता(इंस्टाइटुटलमेंट थैट्रिक्स) के अनुसार अनुसूचित पीएपीज को पुनर्वास और पुनः स्थापना के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
- पीएपीज अपनी कोई हुई संपत्ति के लिए भतिपूर्ति स्थापनापन लागत पर प्राप्त करेंगे।
- अतिम तारीख की समाप्ति के बाद यदि कोई परिचयना क्षेत्र में आता है तो यह सहायता का हकदार नहीं होगा।
- परिचयना का अलग पुनः स्थापना बजट होगा।
- पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति, न्यूनीकरण रणनीति, पुनः स्थापना योजना तैयारी और कार्यान्वयन से संबंधित समस्त प्रकार की सूचना पीएपीज सहित सभी स्टैक होल्डर्स को दी जाएगी।
- अर्धपूर्ण भागीदारी के लिए परिचयना केक विभिन्न स्तरों पर स्टैक होल्डर्स के साथ लोक परामर्श बैठक आयोजित की जाएगी।
- झगड़ों के शीघ्र निपटारे के लिए उपयुक्त शिकारत निपटान चक्र स्थापित किया जाएगा।
- स्टैक होल्डर्स और पीएपीज के साथ हुई बातचीत को दर्ज किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अर्धपूर्ण बातचीत पुनर्वास और पुनःस्थापना योजना के दौरान भी जारी रहेगी।
- अतिम तारीख की समाप्ति के बाद समाधिधारक/नेनेसी की स्थिति में किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आरएए 2008 और एनआरआरएपी 2007 पर आधारित डीएफसीसी परियोजना के लिए
 मौलिक पात्रता

(इगटाइलवमेंट मैट्रिक्स)

क्रम संख्या	आवेदन	प्रभावित व्यक्तियों की परिभाषा	तकवारी	विवरण
(क) निजी कृषि, रिहायशी और वाणिज्यिक भूमि की हानि	परियोजना के रास्ते में आने वाली भूमि	प्रामाणिक व्यक्तिओं की परिभाषा	तकवारी	विवरण
1	परियोजना के रास्ते में आने वाली भूमि	प्रामाणिक व्यक्तिओं की परिभाषा	तकवारी	विवरण

2	पंजीकृत किरायेदारों और श्रद्धालुओं के घरों के धारक	रखी फसल के लिए बाजार दर पर अधिभूति	पंजीकृत किरायेदारों के लिए बाजार दर पर अधिभूति	<p>‘छोटे’ या ‘सीमांत’ किसान को ही जाती है तो उसे 750 दिन के अवकाश प्रदान करके भूखंडों को पुनर्वास सहायता दी जाएगी।</p> <p>(vi) संदेह/आड़े के मामले में सक्षम प्राधिकारी मुलावजे की राशियाँ निर्धारित करने से पूर्व एक स्वतंत्र मूल्यांकन कर्ता से मदद ले सकता है। इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया नोट दी गई है।</p> <p>(vii) अधिग्रहण/अवशेष भूमि के लिए अधिभूति की नैतिक नोट सी के अनुसार होंगी।</p> <p>(viii) स्टैंड ब्यूटों का रिफंड और स्थानापन्न भूमि के लिए लगाए गए पंजीकरण प्रणाली परियोजना द्वारा होने जा रहे। स्थानापन्न भूमि आर ए ए, 2008 की धारा (एच) के अनुसार प्रभावित पार्टी को दिए गए अधिभूति के मुआवजे की तारीख से एक वर्ष के अंदर खरीद ली जाएगी।</p> <p>पंजीकृत किरायेदार ठेकेदार और पट्टेदारक भूमि की अधिभूति के लिए योग्य नहीं है। वे बाजार दर पर अधिभूति अधिभूति के लिए तभी योग्य होंगे जब ई ए द्वारा 3 माह पूर्व नोटिस नहीं दिया गया हो।</p>
---	--	------------------------------------	--	---

					<p>परियोजना के रास्ते में आने वाले ढांचा</p>		<p>क्रियारदार/पट्टे धारक</p>		<p>पुनः स्थापना और पुनर्स्थापना</p>	<p>5</p> <p>(ख) प्रत्येक प्रभावित को विस्थापित होने पर 10000/- रूपए की एकमुश्त राशि स्थानान्तरण माले के रूप में दी जाएगी (एन आर और पी 2007 पैर 7.10)।</p> <p>(ग) प्रत्येक परिवार को जिसके पास पशु हैं, के विस्थापित होने पर उसे 15000/- रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। (एन आर और पी पैर 7.40, 2007)।</p> <p>(घ) प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को एक ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या स्व राजगार व्यक्ति के विस्थापित होने पर उसे वित्तीय शैड या दुकान के निर्माण के लिए 25000/- रूपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। (एन आर और पी पैर 7.42, 2007)।</p> <p>(ङ) गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को घर बनाने की सहायता हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आवास योजना के अन्तर्गत अधिवास लागत के समकक्ष एवं आरक्षी क्षेत्रों लागत के समकक्ष</p> <p>(i) पंजीकृत पट्टे धारी स्थानीय कानून के अनुसार बना गार्डिक को देय क्षतिपूर्ति के विभाजन का हकदार होगा।</p> <p>(ii) क्रियारदार के माले में 10000/- रूपए की राशि स्थानान्तरण माले के सहित तीन माह का लिखित नोटिस भी देने</p>
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	-------------------------------------	--

<p>3</p>	<p>अपेक्षित क्रियारदार, पट्टे धारी और शेर कोष के लिए बाजार दर पर क्षतिपूर्ति पर क्षतिपूर्ति</p>	<p>अपेक्षित क्रियारदार, पट्टे धारी और शेर कोष के लिए बाजार दर पर क्षतिपूर्ति पर क्षतिपूर्ति</p>	<p>अपेक्षित क्रियारदार, पट्टे धारी और शेर कोष के लिए बाजार दर पर क्षतिपूर्ति पर क्षतिपूर्ति</p>	<p>अपेक्षित क्रियारदार, पट्टे धारी और शेर कोष के लिए बाजार दर पर क्षतिपूर्ति पर क्षतिपूर्ति</p>	<p>अपेक्षित क्रियारदार, पट्टे धारी और शेर कोष के लिए बाजार दर पर क्षतिपूर्ति पर क्षतिपूर्ति</p>	<p>अपेक्षित क्रियारदार, पट्टे धारी और शेर कोष के लिए बाजार दर पर क्षतिपूर्ति पर क्षतिपूर्ति</p>	<p>अपेक्षित क्रियारदार, पट्टे धारी और शेर कोष के लिए बाजार दर पर क्षतिपूर्ति पर क्षतिपूर्ति</p>	<p>अपेक्षित क्रियारदार, पट्टे धारी और शेर कोष के लिए बाजार दर पर क्षतिपूर्ति पर क्षतिपूर्ति</p>	<p>अपेक्षित क्रियारदार, पट्टे धारी और शेर कोष के लिए बाजार दर पर क्षतिपूर्ति पर क्षतिपूर्ति</p>
<p>4</p>	<p>परियोजना के रास्ते में आने वाले ढांचा</p>	<p>परियोजना के रास्ते में आने वाले ढांचा</p>	<p>परियोजना के रास्ते में आने वाले ढांचा</p>	<p>परियोजना के रास्ते में आने वाले ढांचा</p>	<p>परियोजना के रास्ते में आने वाले ढांचा</p>	<p>परियोजना के रास्ते में आने वाले ढांचा</p>	<p>परियोजना के रास्ते में आने वाले ढांचा</p>	<p>परियोजना के रास्ते में आने वाले ढांचा</p>	<p>परियोजना के रास्ते में आने वाले ढांचा</p>

<p>होगा। (एन आर आर पी 7.11)</p> <p>(iii) ढांचे की खाली फसलों के लिए 3 माह का नोटिस। नोटिस न दिए जाने के मामले में सब नोटिस के स्थान पर तीन महीने का किराया भत्ता दिया जाएगा।</p>	<p>(iv) ढांचे की खाली फसलों के काटने और वृक्षों को हटाने के लिए प्रभावित पार्टियों को 3 माह का अग्रिम नोटिस</p> <p>(v) द्वारा प्राकल्पित दर पर क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।</p> <p>(vi) लकड़ी वृक्षों के लिए वन विभाग</p> <p>(vii) फसलों के लिए राज्य कृषि विस्तार विभाग</p> <p>(viii) परेनियल वृक्षों के लिए बागवानी विभाग</p> <p>(ix) वृक्षों, फसलों और परेनियल की हानि के लिए बाजार मूल्य पर अनौपचारिक सेटलर्स/स्वैटर्स सहित शीर्षक धारक और गैर शीर्षक धारकों की नकद सहायता।</p>	<p>(x) आकस्मिक/वाणिज्यिक ढांचों की क्षति (गैर शीर्षक धारकों द्वारा)</p> <p>(xi) कब्जेदारों (जैसा कि नोट एक में परिभाषित है) को खाली करने के लिए 3 माह की नोटिस देनी होगी या फसल/ढांचे की हानि हेतु क्षतिपूर्ति देय होगी यदि नोटिस नहीं दी गई हो। विशिष्ट लोगों (स्वैटर्स) को (जैसा कि नोट एक</p>
<p>में परिभाषित हैं) नकद सहायता स्थानापन्न लागत पर जो कि नोट डी के अनुसार निर्धारित होगा, देय होगा।</p> <p>(ii) नोट सहायता एवं पुनर्वासि सहायता इस प्रकार देय होगी—</p> <p>(क) प्रत्येक परिवार को ₹0-4000/- धारणमान मरता के रूप में।</p> <p>(ख) स्थानान्तरण भत्ता ₹0-10000/- प्रत्येक परिवार को (एन आर आर पी 2007)</p> <p>(ग) ₹0-1500/- की सहायता प्रत्येक शाला की क्षतिपूर्ति हेतु</p> <p>(घ) यदि प्रभावित पार्टी ग्रामीण कस्बों, छोटा व्यापारी या स्वरोजगार व्यक्ति है, ₹0-25000/- की सहायता, बर्हिंग, खेड/दुकान बनाने हेतु</p> <p>(च) गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को घर बनाने की सहायता हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में इन्दिया आवास योजना के अन्तर्गत वर्तमान लागत के समकक्ष एवं शारी क्षेत्रों में जे0एन0यू0आर0ए0 के अन्तर्गत लागत के समकक्ष</p>	<p>(iv) आकस्मिक/वाणिज्यिक धारक/गैर शीर्षक धारक/बटाईदार/कृषि मजदूर और कर्मचारी</p>	<p>(xii) पुनर्वासि सहायता 750 दिनों की न्यूनतम कृषि सजदारी के समतुल्य सन परिश्रमों को सिद्ध करने वाली आजीविका गारंटी दी है (एम आर आर पी 7.14) परन्तु ऐसे क</p>

11	शास्त्रों में उल्लेख और अन्य संस्थापन प्रति, प्राचीन सामाजिक सेवाओं को प्रोत्साहित (आदि)	प्रभावित समुदाय और समूह	सामुदायिक ढांचे और सामुदायिक संरचनाओं का पुनः निर्माण	दी जाएगी जबकि शेष शक्ति को खर्च करने के लिए 7.21.4 एन और आर की 2007)
(क) सामुदायिक अवसंरचना/सामुदायिक संरचनाओं की क्षति				
12	निर्माण के दौरान प्रभावित भूमि और संपत्तियों	भूमि और संपत्तियों के स्वामी	निर्माण के दौरान प्रभावित भूमि और संपत्तियों के स्वामी	निर्माण के दौरान प्रभावित भूमि और संपत्तियों के स्वामी को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक है। प्रभावित स्वामी को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक है। प्रभावित स्वामी को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक है। प्रभावित स्वामी को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

नोट

1. अलग प्राधिकारी द्वारा बतियाए गए 2008, धारा 20 जो में दिए गए प्राक्तनों के अनुसार किया जाएगा जो भूमि को बाजार दर का निर्धारण करने के लिए निर्धारित अपडेट का चलेख करता है।

स्वामी निर्देशों उपरोक्त संकेतन (i) के अन्तर्गत 750 दिनों के बराबर न्यूनतम मजदूरी की सहायता का लाभ होगा, इस सहायता के अन्तर्गत नहीं होगा।	(ii) प्रत्येक परिवार को 300-4000/- प्रति माह सहायता आमदनी अर्जित करने हेतु	(iii) परिवार के सदस्यों द्वारा निर्माण के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को (विशेष तौर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को) अस्थायी रोजगार	(क) वलनरेडल रूप (जैसा कि नोट ड में परिभाषित किया गया है) और परीची रेखा से नीचे वालों को अतिरिक्त सहायता
9	शास्त्रों में आने वाले प्रभावित परिवार	शास्त्रों में आने वाले प्रभावित परिवार	पुनः स्थापना पुनर्वास सहायता
(घ) अनु. जा. जाति के प्रभावित परिवारों की अतिरिक्त सहायता			
10	प्रभावित अनुपु जाति	शास्त्रों में आने वाले प्रभावित परिवार	पुनर्वास सहायता
(i) प्रचलित अधिकार या इन अधिकारों के अभाव में जाति के प्रभावित परिवार को न्यूनतम मजदूरी के 500 दिनों के बराबर एक अतिरिक्त एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। (पैरा 7.21.5 एन और आर की 2007)			
(ii) भूमि अधिग्रहण के मामले में प्रत्येक अनुपु जाति के प्रभावित परिवार को क्षतिपूर्ति राशि कम से कम एक तिहाई राशि प्रथम किस्त के रूप में प्रारंभ में			

5. प्रयोगकर्ता के अधिकार के मामले में या किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार की प्रकृति में यदि कोई भूमि अधिभूत की जाती है तो आर ए ए 2008 की धारा 20 एफ (1) के अंतर्गत निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि के 10 प्रतिशत की राशि का मुआवजा ई ए द्वारा नॉन-एग्रीक और अन्य दूसरे व्यक्ति को नियोजन भूमि के प्रयोग का अधिकार प्रभावित होता है, को किया जाएगा।

नोट 'ख'

सीएमपीसीआईएल सरकार के साथ पंजीकृत एक स्वतंत्र मूल्यांकन कर्ता को रखनी जो निम्नानुसार स्थान/पट्टा लागू का मूल्यांकन करने के लिए सहजता कर सकता है और सक्षम प्राधिकारी तथा उपलब्ध करा सकता है:

- (i) हाल ही में किसी निरूपण और हस्तांतरण नियम या आमन पत्रों का मूल्यांकन करना और याव या शहरी क्षेत्र और आस पड़ोस में उसी तरह की भूमि के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- (ii) जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सकल रेंट को ग्रहण करना।
- (iii) भूमि के लिए कृषि उत्पादकता दर तय करना - 20 वर्षों के लिए।

भूमि के लिए क्षतिपूर्ति तय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी यदि चाहे तो स्वतंत्र मूल्यांकन से राय ले सकता है।

नोट 'घ'

यदि शेष बचे हुए प्लॉट (प्लॉट) एनालिटिकली जीने के योग्य नहीं है तो ई. ए. एच में लाने और विनियमों का अनुपालन करना और तदनुसार क्षतिपूर्ति करेगा, यदि ई.ए.ए. को खरीद के बाद जिले में नॉन-एग्रीक भूमि के अंतर्गत से शेष बची हुई भूमि कम है तो इस संबंध में वहां राज्य के नियम और विनियम स्पष्ट नहीं है तो प्रभावित पार्टी से अंतर करने समय ई.ए. निम्नलिखित में से एक का अनुपालन करेगा :

- (i) ई.ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर का अनुपालन करते हुए परिशोधना के लिए शेष भूमि की खरीद करेगा ; या
- (ii) ई.ए. भूमि की क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत प्रभावित पार्टी को उस कंपनी के लिए देगा जो खरीदी नहीं गई हो।

(i) न्यूनतम भूमि दर, यदि कोई हो, क्षेत्र में किसी जायों के पंजीकरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1889 में उल्लिखित, जहां भूमि स्थित हो, या

(ii) गांव या आस पास के क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए किसी मूल्य का औसत तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत विक्रीनामों के 50 प्रतिशत से कम न हो, जहां उच्च कीमत दी गई है, जो अधिक हो।

2. जहां कहीं उपरोक्त प्रावधान लागू न हों, संबंधित राज्य सरकार उक्त भूमि की प्रति इकाई क्षेत्र की 16.00 कीमत का आस पास के क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए दिए गए औसत उच्च कीमतों के आधार पर उल्लेख करेगी जो पिछले 3 वर्षों के दौरान पंजीकृत विक्रीनामों के 50 प्रतिशत से कम न हो जहां उच्च कीमत दी गई हो और सक्षम प्राधिकारी तदनुसार भूमि के मूल्य की पंजीकरण करे (आर ए ए 2008 की धारा 20 सी का अनुपालन किया जाएगा)

3. क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करते समय सक्षम प्राधिकारी या सहाय्य आर ए ए 2008 की धारा 20 एफ (b) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखेगा।

(i) भूमि का कब्जा लेते समय इच्छुक व्यक्तियों द्वारा यदि कोई गुंजायमान किया गया है जिसका कारण ऐसी भूमि का अन्य भूमि से कठिनाता का दिशा गया हो

(ii) भूमि का कब्जा लेते समय इच्छुक व्यक्तियों द्वारा कोई गुंजायमान किया गया है जिस कारण अधिग्रहण उसकी अन्य अक्षत सम्पत्ति या उसकी आय को किसी भी प्रकार से प्रभावित करता हो

(iii) यदि भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप इच्छुक व्यक्ति को उसका निवास या व्यापार स्थल बदलने के लिए तबाव आता जाता है तो इस संबंध में होने वाले खर्च, यदि कोई है तो ऐसे परिपक्व के लिए न प्रासंगिक होंगे।

4. अधिभूत की जा रही भूमि के बाजार मूल्य का मूल्यांकन और निर्धारण करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित करेगा :-

- (i) ऐसी भूमि की नियत भूमि के प्रयोग की श्रेणी को जान लेना और
- (ii) समीपवर्ती क्षेत्रों या आस पड़ोस में भूमि की नियत श्रेणी के मूल्य को जान लेना।

इस्तेमाल कर रहा है और अपने आश्रय/आजीविका के लिए निर्भर है और उसका कोई आश्रय या आजीविका का स्रोत नहीं है।

महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव

महाराष्ट्र में डीएफपी के लिये भूमि अर्जित करने हेतु गुवागले का दर निर्धारित करने के लिये महाराष्ट्र सरकार ने डीएफपीसीआईएल के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु दर निर्धारण करने के लिए एक सरकारी प्रस्ताव (GFR) जारी किया है। इसके अनुसार भूमि में कलेक्टर (सिद्धार्थ), एन एन ए आभिसार/सहाय प्रधिकारी (सदस्य सचिव) और 2 अन्य सदस्यों की समिति बनेगी।

भूमि का दर निर्धारित करने के लिए, समिति, इन्टरटिवमेन्ट मैट्रिक्स का नोट-क, आर आर ए 2008 का पैरा 20 भी और अन्य जैसे कि पी ए सी के साथ, संयुक्त माप सर्वेक्षण के परिणाम, भूमि के बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट को छोड़कर, आसपास की जगहों के स्थानीय फील्डर जा कि विषय भूमि की कीमत से सम्बन्ध रखता हो, को विचार में ले सकते हैं।

समिति, रेडी रेकनर व उसी वर्ष के सोलर डीट्र की दरों की तुलना करती पूर्व भूस्वाधी को उच्चतम दर का प्रस्ताव करेगी।

अगर भू-स्वामी प्रस्तावित दर से सहमत नहीं होता है तो समिति पाँच वालों को स्वीकार्य दर का पता लगाने पूर्व उसी को डीएफपीसीआईएल के पास मजूरी के लिए प्रिकॉण्डिशन करेगी और फिर समिति तदनुसार दर निर्धारित करेगी।

समिति निरपवाद रूप से नहींने में एक बार विचारणीय मामलों के दर निर्धारण हेतु मिलेगी। समिति, महाराष्ट्र राज्य के अन्तर्गत डेप्युटी सेंट कोर्पोरेट की योजना के लिए इन सभी मामलों के लिए दर को अन्तिम रूप देगी एवं सहाय प्रधिकारी को स्वीकृति एवं समितरण के लिए सलाह देगी।

नोट 'घ'
 धरों, सतनों और अन्य अचल संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण विना मुख्य हाथ के आधार सूची दर का चल्ने रख करके हुए स्थानापन्न लागत के आधार पर किया जाएगा। आधार सूची दर का विचार करते समय सरकार के साथ पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकन क्षेत्र में राष्ट्रीय और ग्रामीण इलाकों में रिहायशी और वाणिज्यिक दोनों के लिए नवीनतम आधार सूची दर और मातृको से परामर्श करके प्रयोग करेगा।

नोट 'ख'
 एन आर आर पी 2007 बलेनबल व्यक्तियों को अशोध, निवास, अनाथ, विधवा, अविवाहित लड़कियों, परिवारवा स्त्री या ऐसे व्यक्ति विपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, जिन्हें वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध नहीं है और जो कहीं भी परिवार के हिस्से के रूप में ऊपर नहीं होते हैं, को परिभाषित किया गया है। (पैरा 6.4 (v) एन आर आर पी 2007)

नोट 'घ'
सीमांत किसान
 ऐसा खेतीहर जिसके पास एक हैक्टयर तक असिंचित भूमि हो या आठ हैक्टयर तक सिंचित हो।

छोटा किसान
 ऐसा खेतीहर जिसके पास दो हैक्टयर तक असिंचित भूमि है या एक हैक्टयर तक सिंचित भूमि हो, किन्तु सीमांत किसान से अधिक हो।


अतिक्रमणकारी
 एक व्यक्ति/परिवार जो अपनी समीपवर्ती भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति के साथ सार्वजनिक भूमि में अतिक्रमण करता है (अन्तिम तारीख से पहले) और अपना आश्रय/आजीविका का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त करता है।

स्कवैटर्स
 ऐसा व्यक्ति/परिवार जो विना अनुमति के सार्वजनिक भूमि पर स्थापित हो गया है या अंतिम तारीख से पहले विना किसी प्राधिकार के सार्वजनिक भवन का


संस्थागत व्यवस्थाए

डीएफसीसीआईएल परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते परियोजना के समस्त तकनीकी पहलुओं और उनके कार्यान्वयन तथा उधार ली गई सधि की निपटानी और समस्त कार्यान्वयन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। प्रबंध निदेशक, डीएफसीसीआईएल संगठन का मुखिया होने के नाते उधार ए पी के संकलनापूर्वक

क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। डीएफसीसीआईएल ने पहले ही सूत्र, मुम्बई और नोएडा में परियोजना प्रबंध इकाई का कार्य करने के लिए मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय (सीपीएफ ऑफिस) स्थापित कर दिए हैं और महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी द्वारा इनका नेतृत्व किया जाता है। प्रथम तर्जौल्य में एक पर्यावरण और सामाजिक इकाई (सीएम) महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में स्थापित की गई जिसका काम सीएम अधिग्रहण और पुनर्वास तथा पुनः स्थापना प्रक्रिया देखना है। प्रथम कार्यालय और परियोजना कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा चित्र 1 और चित्र 2 में दर्शाया गया है।



चित्र-1 प्रधान कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा



चित्र-2 परियोजना कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा

क्र.सं.	वर्ष	2011			2012			2013			2014		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Preparation of Final RRP												
2	Notification under Section 20A of BAA-2008												
3	Hearing of Objections												
4	Identification of Notified Area												
5	Section 20E of BAA-2008												
6	Joint Verifications Being Made												
7	Survey and Census												
8	Preparation of Draft RRP												
9	Disclosure of Draft RRP												
10	Final RRP												
11	Final RRP												
12	Final RRP												
13	Final RRP												
14	Preparation of Compensation for Land and R&E												
15	Award of Compensation as per section 20F of BAA-2008												
16	Deposit of Money with CA												
17	Disbursement of Payment to F&Ps												
18	Taking possession of Land												
19	Construction of Work												
20	Monitoring of Resettlement Impact (Interim)												
21	Monitoring of Resettlement Impact (Annual Report/Governal)												
22	Greenhouse Gas Emission												

Fig. 1. Update status (percent)

शिकायत निपटान संज्ञ- एन आर आर पी 2007, सेक्शन 8.1 के अनुसार मुख्यतः एवं क्षेत्रीय स्तर पर पी ए पी/ पी ए एफस और अन्य किसी भी स्थानीय निवासी जो कि डीएफसी की परियोजना को लागू होने में शिकायत करता है, के निवारण हेतु पुनःस्थापना एवं पुनर्वास समितियों होंगी।

क्षेत्रीय स्तर पर शिकायत निपटान:

(1) मुख्य परियोजना प्रबन्धक की अगुवाई में पुनःस्थापना एवं पुनर्वास समिति होगी जिसके अन्तर्गत निम्न लोग होंगे-

- (क) सम्बन्धित जिले के जिला कलेक्टर या उनके नामित (वेयर)
- (ख) सम्बन्धित सखम प्राधिकारी (आयुक्त)
- (ग) सम्बन्धित सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर- सामाजिक (सञ्चित लोक सेवा प्रदान करने के लिए)
- (घ) जिला परिषद अध्यक्ष या उनका/उनकी नामित
- (ङ) स्थितिल सोसाइटी का प्रतिनिधि/स्थानीय प्रतिष्ठित एन जी ओ

- (2) प्रोजेक्ट स्तर पर शिकायत निपटान महाप्रबन्धक (लेवू) की अगुवाई में-
 - (क) टाहरेन्टर (इनफार्मेटिक्स)
 - (ख) एन महाप्रबन्धक-शिकायत
 - (ग) सामाजिक विशेषज्ञ और
 - (घ) रेल मंत्रालय का प्रतिनिधि
- (3) आर्बीट्रेटर की भूमिका- इस मामले में, सम्बन्धित राजस्व डिवीजन के कमिश्नर जो कि, 15 जुलाई 2010 के राजपत्र द्वारा नियुक्त किने जा चुके है, आर्बीट्रेटर होंगे और आर ए 2008 के अनुसार पी ए एफस को देय मुआवजे से सम्बन्धित शिकायत को सुनने व निपटान करेंगे।
- (4) रेल मंत्रालय एक लोकपाल की नियुक्त करेगा जो कि ऐसी शिकायतों का निपटान करेगा, जो डीएफसीबीआईएल द्वारा मणित पुनः स्थापना व पुनर्वास समिति द्वारा न निपटाया जा सकता हो।

<p>डीएफसी में कार्पोरेट स्तर पर शिकायत निपटान प्रणाली</p> <p>(1) क्षेत्रीय स्तर पर शिकायत निपटान प्रणाली</p> <p>कृषि, आयसीय, वाणिज्यिक और अन्य संस्थानों से संबंधित शिकायत प्रारम्भिक तौर पर 90 परियोजना प्रबन्धक कार्यालय द्वारा निपटारा होगा। अगर कार्रवाही की जाँच वास्तविक लगते हैं तो 90 प्रतिशत प्रबन्धक ही इसे हल करेंगे। अगर उनको स्तर पर हल नहीं हो सकता है, तो उसे मुख्यालय को अनुसारीत किया जाएगा।</p> <p>(2) कार्पोरेट स्तर शिकायत निपटान प्रणाली</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. एक केंद्रीकृत शिकायत निपटान प्रणाली जिसमें एक परियोजना सेजामनवा के साथ-साथ प्राप्त शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति को दर्शाते रहुर एक प्रणाली की स्थापना डीएफसीसीएल द्वारा की जाएगी। 2. शिकायत निपटान प्रणाली एम आ आर और मुख्य सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित की जायेगी। 3. शिकायत रजिस्ट्रर प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय और कार्पोरेट स्तर पर प्रत्येक समूह महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक के पास रख दिया गया है। संबंधित कार्यालय द्वारा प्राप्त सभी शिकायतें इस रजिस्ट्रर में दर्ज की जाएगी। सतर्कता कोण वाली शिकायतों को संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी को पास भेजा जाएगा। 4. प्राप्त शिकायतों के निपटार की निगरानी के लिए महाप्रबन्धक/प्रौद्योगिकी को नामित किया गया है जो मासिक आधार पर निर्देशक मंडल को स्थिति प्रस्तुत करेंगे। 5. प्रत्येक मामले की स्वचालित उत्पत्ति, भ्रान्त प्रपत्र रिपोर्ट सभी प्राप्त शिकायतों के रिकार्ड और निपटान की जिम्मेवारी डीएफसीसीआईएल की होगी। 6. डीएफसीसी सभी शिकायतों, चाहे वे किसी भी स्तर पर प्राप्त हुई हों, का उत्तर सामान्यतः प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर देगी। 7. टिप्पणियों, सुझावों और शिकायतों के निपटार से संबंधित एक घटक वेबसाइट (http://www.dfccil.org) पर शामिल किया जाएगा। इसे मासिक आधार पर अद्यतन किया जायेगा। शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायतों की आनलाइन ट्रैकिंग में भी यह साइट सक्षम होगी। 	<ol style="list-style-type: none"> 8. जाचों की स्थितियों की ट्रैकिंग और लिए गए उपायों को प्रबंधन के पास जाने वाली मासिक रिपोर्टों में दर्ज किया जाएगा। 9. शिकायत संन के कार्यकुशल संवाहन के लिए संबंधित सूचना को शिकायत के विभिन्न माध्यमों जैसे ईमेल, वेबसाइट, कार्यस्थलों और क्षेत्रीय कार्यालयों के सूचना पट्टों पर विस्तार से प्रकाशित किया जाएगा। <p><u>लागत अनुमान</u></p> <p>अनुमानित बजट आर आर भी द्वितीय चरण के मुख्य रिपोर्ट में दर्शाया गया है।</p> <p><u>आर आर भी रिपोर्ट का विवरण</u></p> <p>विरत सूचनाओं के साथ, आर आर भी रिपोर्ट निम्नलिखित जागहों पर उपलब्ध होगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> - आर आर भी रिपोर्ट का साप्ताहिक स्थानीय भाषा (हिन्दी या गुजराती या भरती) में प्रत्येक प्रभावित गाँवों में - आर आर भी रिपोर्ट का सम्पूर्ण भाषा- अंग्रेजी भाषा में सम्बंधित 90 प्रतिशत प्रबन्धक कार्यालय, डीएफसीसीआईएल मुख्यालय, प्रमुख रेलवे स्टेशनों एवं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालयों में सम्बंधित संगठनों के सम्पर्क सूत्र मुख्य परियोजना प्रबन्धक मुख्यालय, सातवीं मंजिल, रू. रेलमिनिस्ट्रिय बिल्डिंग, सेक्टर 14-डीएन रोड, मुम्बई 400001, महाराष्ट्र मुख्य परियोजना प्रबन्धक सूत्र- चौथी मंजिल, अरुणस-1 इजकोन मॉल के पास, दू.मास रोड, पीपलोड, सूत्र- 385007, गुजरात मुख्य परियोजना प्रबन्धक बडोदरा- 13-14, 17-18, पनौरभा कोम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, आर.सी. दत्त रोड, अलकापुरी, बडोदरा-395007, गुजरात मुख्य परियोजना प्रबन्धक नोएडा- स्टार हाउस, फरट प्लोर, ए-102, सेक्टर-4, नोएडा, उत्तर प्रदेश
---	---

सक्षम प्राधिकारी:-

1. जिला रायगढ़:- काम्पौटेन्ट आथोरिटी और डिप्टी कलेक्टर (लेण्ड इन्फ्रूजीसन) रायगढ़, मैट्रो सेंटर नं0-1, उखान,रायगढ़, सीआइडीसीओ नौदाल ऑफिस, इजीनियरिंग सेक्शन, द्रोणानगरी, सेक्टर-14, बोकडवीथ, तौलका उखान,रायगढ़
2. जिला थाने:- काम्पौटेन्ट आथोरिटी और डिप्टी कलेक्टर (लेण्ड इन्फ्रूजीसन आफिसर), वेस्टर्न फ्रंट कोरीडोर, सूबर्बा प्रकल्प, ईशानी रोड, ओपीपी, आइड-डीबीआई ईक,
3. जिला बलसाड:- काम्पौटेन्ट आथोरिटी और डिप्टी कलेक्टर (लेण्ड इन्फ्रूजीसन आफिसर), सेकाड फ्लोर, जिला सेवा सदन-2, कलेक्टर ऑफिस, बलसाड
4. जिला नवसारी:- डिप्टी कलेक्टर और काम्पौटेन्ट आथोरिटी, फस्ट फ्लोर "सी" ब्लॉक, मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग, जनाथना, नवसारी
5. जिला सूरत:- काम्पौटेन्ट आथोरिटी और स्पेशल लेण्ड इन्फ्रूजीसन ऑफिसर, ब्रान्च नं0.4, पावली मंजिल "ए" ब्लॉक, बहुमाली भवन, सूरत
6. जिला बहुरक:- :- काम्पौटेन्ट आथोरिटी और स्पेशल लेण्ड इन्फ्रूजीसन ऑफिसर, लेण्ड इन्फ्रूजीसन ब्रान्च, कलेक्टर ऑफिस, बहुरक
7. जिला वडोदरा:- स्पेशल लेण्ड इन्फ्रूजीसन ऑफिसर यूनिट नं0.1, रुम नं0-815, छठी मंजिल, कुबेर भवन, कोठी कम्पाउण्ड, वडोदरा
8. जिला रेवाड़ी:- डिप्टीकट रेवन्यू आफिसर(डी आर ओ), डी सी ऑफिस, मिनी सेक्टरियट, रेवाड़ी
- 9.जिला अलवर:- सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (सीडीएम)/एसडीओ, एसडीएम/तिजार, तहसील तिजार, अलवर
10. जिला मेवात:- डिप्टीकट रेवन्यू ऑफिसर(डीआरओ),डीसी ऑफिस, डिसाट्रिक्ट सेक्टरियट, गूड, मेवात
11. जिला गुडगाँव:- डिप्टीकट रेवन्यू ऑफिसर(डीआरओ), मिनी सेक्टरियट,गुडगाँव
- 12.जिला फलवल:- सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम),एसडीएम ऑफिस, फलवल

13. जिला फरीदाबाद:- डिप्टीकट रेवन्यू ऑफिसर (डीआरओ),मिनी सेक्टरियट, सेक्टर-12,फरीदाबाद

14. जिला गौतमबुद्ध नगर:- सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम (सदर), डीएम ऑफिस, गौतमबुद्ध नगर


सेमू, डीएफसीपीआईएल हेड ऑफिस:- प्रगति मैदान, मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग, न्यू दिल्ली- 110001

<p>19. 予算/財政状況: 本事業の予算/財政状況は、以下の通りである。本事業の予算/財政状況は、以下の通りである。</p>	<p>本事業の予算/財政状況は、以下の通りである。本事業の予算/財政状況は、以下の通りである。</p>	<p>本事業の予算/財政状況は、以下の通りである。本事業の予算/財政状況は、以下の通りである。</p>
--	---	---

5. 3. 1. 本事業の予算/財政状況

1. 本事業の予算/財政状況は、以下の通りである。
2. 本事業の予算/財政状況は、以下の通りである。
3. 本事業の予算/財政状況は、以下の通りである。

<p>19. 本事業の予算/財政状況</p>	<p>本事業の予算/財政状況は、以下の通りである。</p>	<p>本事業の予算/財政状況は、以下の通りである。</p>
------------------------	-------------------------------	-------------------------------



ફરીબાદ નિવારવાની પદ્ધતિ

RRP ૨૦૦૬ ની કસમ ૮.૧ મુજબે મુખ્ય અને સેવિકા કામને યોજના અસરકારક બોલો અને પદ્ધતિઓ માટે તબક્કા ડી.એન.ટી. ઓફિસ ના અધિકારીઓની પ્રતિબદ્ધતાને ધ્યાનમાં લેવાઈને ફરીબાદ નિવારણની ફરીબાદ કસમ પૂરવાની અને પુનઃસ્થાપના સંબંધિતની રચના કરવામાં આવશે.

- (1) કોઈપણ સ્પર્ધાકારીને પાનવટ મુખ્ય ઓફિસ મેનેજરના અધીન હેઠળ પુનર્વ્યાજ અને પુનઃસ્થાપના સંબંધિત કોઈ જેમાં નીચેનાની સમાવેશ થશે.
 - અ. જે તે કસમના ફોર્મટ અનુસાર નેમ પ્રતિનિધી (લખણ) ;
 - બ. સંબંધિત સામગ્રી અધિકારી / સીનિયર ડી.એન.ટી. (અધિકારી) ;
 - ક. સંબંધિત મડલ ઓફિસ મેનેજર-સમાજિક નિયમ કસમ તેવા પુરી પાડવા માટે) ;
 ૬. કસમના પુનઃસ્થાપના મુખ્ય અધિકારી નેમ પ્રતિનિધી ;
 ૬. સામાજિક સંબંધિત સમાપનનિયમ સંબંધિત નિયમ સંબંધિત સેક્ટર (સંબંધ)
- (૨) યોજના કસમ ફરીબાદ નિવારણ જનરલ મેનેજર (એમુ/SEMT) ના અધીન હેઠળ પુનર્વ્યાજ તથા પુનઃસ્થાપના સંબંધિત કોઈ જેમાં નીચેનાની સમાવેશ થશે.
 - અ. ડાઉનટાઇમ (અનુભવ) ;
 - બ. રૂબરૂ નિયમન જનરલ મેનેજર-ફરીબાદ ;
 - ક. સામાજિક નિયમન ;
 ૬. રેલ મેનાજરના પ્રતિનિધી.
- (૩) કસમની મુજબ RRA-૨૦૦૮ હેઠળ મનાવવાના વખત અનેની યોજના અસરકારક પરિવારની ફરીબાદના નિવારણ માટે જુલાઈ ૧૫, ૨૦૧૦ ની રીડરમાં નિયુક્ત કરાશે અને મુખ્ય અધિકારીને નિયમનના કસમને કસમ કરશે.
- (૪) ડી. એન.ટી. ઓફિસ અને સેવિકા કામને નિયુક્ત પુનઃસ્થાપના અને પુનર્વ્યાજ સંબંધિત કસમ સંબંધિત નિયમનની પાનવટ માટે જો અસરકારક બોલો કે પદ્ધતિઓ નિયમન કરશે તો કેન્ટ મેનાજરને તે માટે અરજી આપવાની નિયમન કરશે.

૩. ડી. એન. ડી. કોર્પોરેટ સ્ટાફ ફરીબાદ નિવારણ વ્યવસ્થા
 ૧. કોઈપણ કસમ ફરીબાદ નિવારણ વ્યવસ્થા.
 - i. ખર્ચો, નિવારણ કે વ્યવસ્થાકારી અને અન્ય અસરકારકતાના વખત અનેની ફરીબાદ. માટે પ્રદર્શિત તબક્કામાં મુખ્ય ઓફિસ મેનેજર (CMF) દ્વારા ઉકેલ શકાય તેવા અસરકારક બોલો અને પદ્ધતિઓને ડી.એન.ટી. ઓફિસ તરીકે આપવાની મુખ્ય કસમના મોડલમાં.
 ૨. કોર્પોરેટ કસમ ફરીબાદ નિવારણ વ્યવસ્થા
 - i. ડી.એન.ટી. ઓફિસ અને સેવિકા કામને વહે. ફરીબાદની નીચેની રીતે કસમ અને નિવારણ સુધી ટેબલમાં રજૂ કરવામાં આવશે.
 - ii. રેલ મેનાજર તથા CYC માટે ફરીબાદની નીચેનાની રીતે કસમ ફરીબાદ નિવારણ વ્યવસ્થા સમાવવામાં આવી છે.
 - iii. ડી. એન. ડી. ઓફિસ અને સેવિકા કામને વહે. GGM / GM માટે ફરીબાદ નીચેની રીતે કસમ ફરીબાદ નિવારણ વ્યવસ્થા સમાવવામાં આવી છે.
 - iv. અધિકારીને માર્ગદર્શિકા અને ફરીબાદ નીચેનામાં આપશે. તબક્કા-તબક્કાની માર્ગદર્શિકા અને ફરીબાદ નીચેની રીતે કસમ ફરીબાદ નિવારણ વ્યવસ્થા સમાવવામાં આવી છે.
 - v. મુખ્ય અધિકારીને સમાવવા માટે (GMT) વ્યાખ્યાનકારી, મુખ્ય અધિકારી ફરીબાદ નિવારણ મુખ્ય અધિકારી તરીકે નિવારણ વ્યવસ્થા સમાવવામાં આવી છે.
 - vi. ડી. એન. ડી. ઓફિસ અને સેવિકા કામને વહે. કસમ ફરીબાદ નિવારણ વ્યવસ્થા સમાવવામાં આવી છે.
 - vii. ડી. એન. ડી. ઓફિસ અને સેવિકા કામને વહે. કસમ ફરીબાદ નિવારણ વ્યવસ્થા સમાવવામાં આવી છે.
 - viii. તબક્કા અને રીતિના પાનવટની નિયમન કરવા માટે નિયમન અને સેવિકા કામને વહે. કસમ ફરીબાદ નિવારણ વ્યવસ્થા સમાવવામાં આવી છે.
 - ix. ફરીબાદ વ્યવસ્થાપનાની કસમના માટે સંબંધિત ફરીબાદ નિવારણ વ્યવસ્થા સમાવવામાં આવી છે.

ખર્ચની અંદાજ :
 ફોન ૨ ના RRP ને અંતિમ બાદ ખર્ચનો અંદાજ તૈયાર કરશે.

મહત્તિ	૨૦૧૦		૨૦૧૧		૨૦૧૨		૨૦૧૩		૨૦૧૪	
	૧	૨	૧	૨	૧	૨	૧	૨	૧	૨
૧ જમીન આધાર-તૈયારી										
૨ RRA-૨૦૦૮ ની સોલ્યુશન										
૩ જમીન માલિકીની સુધારણા										
૪ જમીન માલિકીની સુધારણા										
૫ RRA-૨૦૦૮ ની સોલ્યુશન										
૬ સુધારણા તૈયારી (સુધારણા માટે સંબંધિત)										
૭ ખર્ચનો અંદાજ અને સેવિકા કામને વહે.										
૮ સુધારણા RRP માટે તૈયારી										
૯ સુધારણા RRP માટે તૈયારી										
૧૦ કસમ ફરીબાદ નિવારણ										
૧૧ કસમ ફરીબાદ નિવારણ										
૧૨ અંતિમ RRP ની તૈયારી										
૧૩ અંતિમ RRP ની તૈયારી										
૧૪ અંતિમ RRP માટે પાનવટની તૈયારી										
૧૫ અંતિમ RRP માટે પાનવટની તૈયારી										
૧૬ અંતિમ RRP માટે પાનવટની તૈયારી										
૧૭ અંતિમ RRP માટે પાનવટની તૈયારી										
૧૮ અંતિમ RRP માટે પાનવટની તૈયારી										
૧૯ અંતિમ RRP માટે પાનવટની તૈયારી										
૨૦ અંતિમ RRP માટે પાનવટની તૈયારી										
૨૧ અંતિમ RRP માટે પાનવટની તૈયારી										
૨૨ અંતિમ RRP માટે પાનવટની તૈયારી										

જનર જમીનની તૈયારીનો લોક સંબંધ બેટા કરશે.
 સંબંધિત જમીન સંબંધિતની પૂર્વ બાદ જ અધિકારીને કસમ કરશે.
 પુનઃસ્થાપના સમાવવામાં આવી છે.

युवावधि तथा युवास्थापन अभिवृद्धि विवरण:
 युवावधि तथा युवास्थापन अभिवृद्धि अभियान अंतर्गत निम्नलिखित कार्यवाही कराई जाईगी।
 - युवावधि तथा युवास्थापन अभिवृद्धि अभियान अंतर्गत निम्नलिखित कार्यवाही कराई जाईगी।
 - युवावधि तथा युवास्थापन अभिवृद्धि अभियान अंतर्गत निम्नलिखित कार्यवाही कराई जाईगी।
 - युवावधि तथा युवास्थापन अभिवृद्धि अभियान अंतर्गत निम्नलिखित कार्यवाही कराई जाईगी।

संलग्नित संस्थाओं की सूची

- CPMI - संस्था प्रमुख: श्री. राजेश कुमार, एम.डी., एम.डी., एम.डी. (CPM) - 100001
- CPM - संस्था प्रमुख: श्री. राजेश कुमार, एम.डी., एम.डी., एम.डी. (CPM) - 100002
- CPM - संस्था प्रमुख: श्री. राजेश कुमार, एम.डी., एम.डी., एम.डी. (CPM) - 100003

- 1. संस्था प्रमुख: श्री. राजेश कुमार, एम.डी., एम.डी., एम.डी. (CPM) - 100001
- 2. संस्था प्रमुख: श्री. राजेश कुमार, एम.डी., एम.डी., एम.डी. (CPM) - 100002
- 3. संस्था प्रमुख: श्री. राजेश कुमार, एम.डी., एम.डी., एम.डी. (CPM) - 100003
- 4. संस्था प्रमुख: श्री. राजेश कुमार, एम.डी., एम.डी., एम.डी. (CPM) - 100004
- 5. संस्था प्रमुख: श्री. राजेश कुमार, एम.डी., एम.डी., एम.डी. (CPM) - 100005
- 6. संस्था प्रमुख: श्री. राजेश कुमार, एम.डी., एम.डी., एम.डी. (CPM) - 100006
- 7. संस्था प्रमुख: श्री. राजेश कुमार, एम.डी., एम.डी., एम.डी. (CPM) - 100007
- 8. संस्था प्रमुख: श्री. राजेश कुमार, एम.डी., एम.डी., एम.डी. (CPM) - 100008
- 9. संस्था प्रमुख: श्री. राजेश कुमार, एम.डी., एम.डी., एम.डी. (CPM) - 100009
- 10. संस्था प्रमुख: श्री. राजेश कुमार, एम.डी., एम.डी., एम.डी. (CPM) - 100010

संयुक्त (SEMU), DFCIL, Head Office, उपरि संकेतित संस्थाओं (लिस्टिंग) की सूची संलग्न है।